





# अंकित सक्सेना हत्याकांड में तीन को आजीवन कारावास तीस हजारी कोर्ट ने अकबर अली, अली की पत्नी शहनाज बेगम और मामा मोहम्मद सलीम को सजा सुनाई

● तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, यह यादि पीड़ित परिवार को दी जाएगी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

रघुवीर नगर इलाके में हुए चर्चित अंकित ने सक्सेना हत्याकांड मामले में तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अकबर अली, अली की पत्नी शहनाज बेगम और मामा मोहम्मद सलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

न्यायालय ने कहा कि दोषियों की उम्र, आपाधिक रिकार्ड को देखते हुए योंगत की सजा नहीं दी जा रही है। वर्ष 2018 में अंकित की हत्या हुई थी अंकित अकबर अली और शहनाज बेगम की बेटी के प्यार करता था लेकिन दोनों अलग-अलग धर्म के होने की वजह से वे इस शिरे के द्वारा थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा की अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रत्यक्षतरिणों की गवाही पर भरोसा देते हुए 23 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया कि अधियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद



## फांसी दिए जाने पर मिलती तसल्ली: मां

अंकित के पिता की मौत हो चुकी है। वहाँ अंकित की मां कमलेश सक्सेना ने कहा कि जिस तरह से दोषियों ने उनके समने अंकित की हत्या की थी। उससे उनका पूरा परिवार जड़ भृत्या हो गया। अब उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। आरोपियों को फोटो दिए जाने पर ही उन्हें तसल्ली मिलती।



अंकित की प्रेमिका शहजादी के माता-पिता अकबर अली और शहनाज बेगम तथा मामा मोहम्मद सलीम को इस मामले में दोषी ठहराया था। ये तीनों सक्सेना और शहजादी के रिस्ते के खिलाफ थे जिसके चलते इन्होंने परिचमी दिल्ली के खाली इलाके में सक्सेना पर चाकू से ताबड़ोड़ बार कर उपकी हत्या कर दी थी। मामले में कोई ने पुलिस की ओर से बताया कि दोषियों को फैक्ट्री को छोड़ दिया गया था। उनकी देखभाल करने के लिए एक नहीं है। आरोपियों को फोटो दिए जाने पर ही उन्हें तसल्ली मिलती।

पुलिस के मुताबिक 1 फरवरी 2018 को अंकित ने आखिरी बार अपनी मामला मित्र से फोन पर बात की थी और दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। अंकित से बात के बाद उसकी महिला मित्र रात में कीरब 8.30 बजे अपने माता-पिता को घर में बंद कर उससे मिलने के लिए निकली थी। घर में माता-पिता को बंद करने के बाद उसकी महिला मित्र भी बताया था कि वह अंकित से शादी करने जा रही है। अंकित टैगर गार्डन मेट्रो स्टेशन के निकट अपनी महिला मित्र से मिलने वाला था लेकिन वह तब समय के मुताबिक वहाँ नहीं पहुंच सका था। तभी लड़की के माता-पिता ने पड़ोसियों की मदद से घर का दरवाजा खुला लिया था और वो अंकित के बारे चले गए लेकिन अंकित उहाँ चौराहे पर ही किसी से बात करता हुआ मिल गया था। लड़की के घरवालों ने तभी अंकित से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान किसी जानकार ने अंकित के घरवालों को बताया कि उनके साथ मारपीट हो रही है। तभी अंकित के घरवालों को बताया कि उनके चाचा, माता-पिता और भाई को कुछ ही दिनों में पकड़ लिया गया था। डॉक्टर की गवाही पर भरोसा करते हुए, अदालत ने कहा कि अधियोजन पक्ष द्वारा सहित उहाँ की घरवाली के बारे चले गए। लेकिन अंकित उहाँ चौराहे पर ही किसी से बात करता हुआ मिल गया था। लड़की के घरवालों ने अपनी बेटी के साथ अंकित के रिश्ते को खत्म करने के लिए एक खिलाफ भारी दंड सहित (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोपियों के दलीलें सुनने के बाद

## प्रेम प्रसंग से नाराज थे युवती के परिजन

पुलिस के मुताबिक 1 फरवरी 2018 को अंकित ने आखिरी बार अपनी मां को लड़की के पिता ने उसे गले में ढुके से हमला कर दिया। घरमें के बाद अंकित की मौत हो गई थी।

पुलिस ने पीड़ित के माता-पिता के बायानों पर संज्ञान लिया हत्या के तुरंत बाद पुलिस लड़की को नारी निकेतन वेज दिया गया क्योंकि उसने दावा किया था कि उसके परिवार वाले उसे भी मारने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद में उसे उसकी मौसी के घर भेज दिया गया। उसके बाचा, माता-पिता और भाई वही कुछ ही दिनों में पकड़ लिया गया था। डॉक्टर की गवाही पर भरोसा करते हुए, अदालत ने कहा कि अधियोजन पक्ष द्वारा सहित उहाँ चौराहे पर ही किसी से बात करता हुआ मिल गया था। यह भी नोट किया गया कि बेटा और अली ने अपनी बेटी के साथ अंकित के रिश्ते को खत्म करने के लिए एक खिलाफ भारी दंड सहित (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोपियों को फोटो दिए जाने पर ही उन्होंने अंकित की मां के साथ भी मारपीट करना शुरू कर

दिया और जब अंकित ने अपनी मां भी लड़की के पिता ने उसे गले में ढुके से हमला कर दिया। घरमें के बाद अंकित की मौत हो गई थी।

पुलिस ने पीड़ित के माता-पिता के बायानों पर संज्ञान लिया हत्या के तुरंत बाद पुलिस लड़की को नारी निकेतन वेज दिया गया। उसके बाचा, माता-पिता और भाई वही कुछ ही दिनों में पकड़ लिया गया था। डॉक्टर की गवाही पर भरोसा करते हुए, अदालत ने कहा कि अधियोजन पक्ष द्वारा सहित उहाँ चौराहे पर ही किसी से बात करता हुआ मिल गया था। यह भी नोट किया गया कि बेटा और अली ने अपनी बेटी के साथ अंकित के रिश्ते को खत्म करने के लिए एक खिलाफ भारी दंड सहित (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोपियों को फोटो दिए जाने पर ही उन्होंने अंकित की मां के साथ भी मारपीट करना शुरू कर

## निगम में हंगामे के बीच 21 प्रस्तावों को मंजूरी

● इनमें तीन बहुस्तरीय पार्किंग, एक समुदायिक भवन और खेल प्रशिक्षण के लिए

स्टेडियम का

पुनर्विकास शामिल



शासित आम आदमी पार्टी के खिलाफ गुरे रहा लगाए। हांगामे के बीच महापौर ने प्रस्ताव पारित कर दिया और सदन की कार्यवाही अगली बैठक तक तक के लिए स्थगित कर दी। पारित प्रस्तावों में शास्त्रीय पार्क, राजिदार नारा और गणी बाग में एक-एक बहुस्तरीय कार पार्किंग का निर्माण हो गया है।

नारा निकाय ने सदन में पेश किया गया 5 करोड़ रुपये की लागत से डॉक्टर बीआर आंबेडकर स्टेडियम के निर्माण को स्थगित कर दिया। कार्यवाही के दौरान, विपक्षी दलों के पार्षद आसन के बीच 21 प्रस्ताव पारित किये गए। इन प्रस्तावों में तीन बहुस्तरीय कार पार्किंग का निर्माण और खेल प्रशिक्षण के लिए एक स्टेडियम का पुनर्विकास के साथ स्थानांतरण किया गया है। एक स्टेडियम का पुनर्विकास से जुड़ी शास्त्रीय पार्किंग का निर्माण और अन्योन्मान के लिए एक स्टेडियम का पुनर्विकास के साथ स्थानांतरण किया गया है।

## देवली में शादी से कुछ घंटे पहले जिम ट्रेनर को 15 बार चाकू घोपा, मौत

● पुलिस मृतक के छोटे भाई और एक दिव्यांजलि को हियासत में लेकर कर दर्ही पूछताछ

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी में शादी से कुछ घंटे पहले एक 29 वर्षीय जिम ट्रेनर की उसके घर में ही 15 बार चाकू से वार कर हत्या कर दी गयी। हमलावरों ने इस बादत को बहुस्तरीय तड़के द्वारा दिल्ली के देवली एक्सटेंशन इलाके में हुए। अंजाम दिया गया। पुलिस ने अतिरिक्त सत्र जांच पूरी करने के लिए और अली ने अपनी बेटी के साथ अंकित के रिश्ते को खत्म करने के लिए एक खिलाफ भारी दंड सहित (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोपियों को फोटो दिए जाने पर ही उन्होंने अंकित की मां के साथ भी मारपीट करना शुरू कर

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना दिव्यांजलि के बीच 29 वर्षीय जिम ट्रेनर की उसके घर में ही 15 बार चाकू से वार कर हत्या कर दी गयी। अंजाम दिया गया। इसके बाद अंकित के घरवालों ने अपनी बेटी के साथ अंकित के रिश्ते को खत्म करने के लिए एक खिलाफ भारी दंड सहित (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोपियों को फोटो दिए जाने पर ही उन्होंने अंकित की मां के साथ भी मारपीट करना शुरू कर

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह घटना दिव्यांजलि के बीच 29 वर्षीय जिम ट्रेनर की उसके घर में ही 15 बार चाकू से वार कर हत्या कर दी गयी। अंजाम दिया गया। इसके बाद अंकित के घरवालों ने अपनी बेटी के साथ अंकित के रिश्ते को खत्म करने के लिए एक खिलाफ भारी दंड सहित (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोपियों को फोटो दिए जाने पर ही उन्होंने अंकित की मां के साथ भी मारपीट करना शुरू कर

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह घटना दिव्यांजलि के बीच 29 वर्षीय जिम ट्रेनर की उसके घर में ही 15 बार चाकू से वार कर हत्या कर दी गयी। अं















## पंजाब एण्ड सिंध बैंक



(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

अचल सम्पत्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना दिनांक 28.03.2024 एवं 25.04.2024 (दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक)

(परिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी विक्री सूचना

एतद्वाया जनसमान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रो) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास वंचक नीचे वर्णित अचल समान्य, जिस पर पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकृत प्रधाकारी के द्वारा खोलकी/सांकेतिक कक्षा कर लिया गया था, को विक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" के आधार पर की जायेगी।

## ई-नीलामी

(केवल ई-नीलामी द्वारा बिक्री)

जोन - दिल्ली जोन- 1,  
सिद्धार्थ एन्क्लेव, आश्रम चौक,  
नई दिल्ली-110014

क्र. सं.	कर्जदार/जमानती का नाम तथा शास्त्रा	सम्पत्ति का विवरण	गम सूचना की विवरण एवं वह तक काक्षय राशि (रु.) - जारी बाब्द एवं पर अन्य व्यय	आवंति सूची संवृद्धि वृद्धि गशि	ईमण्डी जमा तथा खाता विवरण	नाम तथा सम्पर्क नं. शास्त्रा	सम्पत्ति के विवरण की विवरण एवं सम्बन्धित वार्षिक वृद्धि गशि	संपत्ति की अवैधता एवं सम्बन्धित वार्षिक वृद्धि गशि	इ-नीलामी की विवरण एवं सम्बन्धित वार्षिक वृद्धि गशि	इ-नीलामी की विवरण एवं सम्बन्धित वार्षिक वृद्धि गशि	
1.	श्रीमती विकारा शास्त्रा - डिफेस कॉलोनी, नई दिल्ली	अचल वंचक संपत्ति का वह सम्पत्त भाग एवं अंत जो किसी तरफी मौजिल बिना छात्र /ट्रेस के अधिकार के, आरेज-327-ए, लॉट नं. 2, जारी नं. 5, ग्राम नम्बरूर, बसरा नं. 297 वर्ष में से, जोकोनी विक्री अवैधता विक्री करते हैं, जो दिनांक-110046 में दिया, खेत्रक 95 वर्ष में, लिंग पर एक वंचक के द्वारा	03-04-2019 36,04,937/- दिनांक 31-05-2022 तक और उस पर अतिरिक्त व्यय, व्यय और अन्य शुल्क इत्यादि	25,00,00/- 2,50,00/- 25,00/-	ईमण्डी वाता खाता विवरण वाता नं. 07075038010002 आईएसप्सीसी- PSIB0000707	शास्त्रा: डिफेस कॉलोनी, नं. 9041939975, फोन-011-24629260 ई-मेल: d0250@psb.co.in	पूर्व 11.30 बजे से अंग. 03.00 के बीच	26.03.2024 अंग. 04.00 बजे तक वीलिंग कक्षा	27.03.2024 पूर्व 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	28.03.2024 वीलिंग बाब्द 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	बैंक को जात नहीं
2.	श्रीमती कुमारी श्रेष्ठा सिंह एवं श्री विशाल सिंह शास्त्रा - डिफेस कॉलोनी, नई दिल्ली	दिविय तथा विक्री अवैधता के, खेत्रक 50 वर्ष ग्राम अवैधत 41,805 रुपये मी. संपत्ति नं. RZ/H4 में से, जो की पूरी के नीचे का आनुभवित अधिकारी विक्रीमानी और नियम व्यापक वंचक के द्वारा अवैधत विक्री करते हैं, जो दिनांक-31-05-2022 तक और उस पर अतिरिक्त व्यय, व्यय और अन्य शुल्क इत्यादि	30-03-2018 38,30,347.66 दिनांक 31-05-2022 तक और उस पर अतिरिक्त व्यय, व्यय और अन्य शुल्क इत्यादि	15,00,00/- 1,50,00/- 25,00/-	ईमण्डी वाता खाता विवरण वाता नं. 07075038010002 आईएसप्सीसी- PSIB0000707	शास्त्रा: डिफेस कॉलोनी, नं. 9041939975, फोन-011-24629260 ई-मेल: d0250@psb.co.in	पूर्व 11.30 बजे से अंग. 03.00 के बीच	26.03.2024 अंग. 04.00 बजे तक वीलिंग कक्षा	27.03.2024 पूर्व 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	28.03.2024 वीलिंग बाब्द 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	बैंक को जात नहीं
3.	श्री रघुवी कुमार त्यागी श्रीमती नेहा रानी शास्त्रा - गोता कॉलोनी, दिल्ली	संपत्ति नं. 1/6296, पुराना नं. 1327-ए, खातरा नं. 1986-229 का दिया, जर्मी शूल, गांवी नं. 3, पूर्वी रोडवाट नगर, शाहदरा, दिल्ली 110032 में दिया	04-04-2017 22,19,787.50 दिनांक 30-11-2020 तक और उस पर अतिरिक्त व्यय, व्यय और अन्य शुल्क इत्यादि	13,72,00/- 1,37,200/- 25,000/-	ईमण्डी वाता खाता विवरण वाता नं. 07075038010002 आईएसप्सीसी- PSIB0000707	शास्त्रा: गोता कॉलोनी, नं. 9877856363 फोन-011-22021020 ई-मेल: d0626@psb.co.in	पूर्व 11.30 बजे से अंग. 03.00 के बीच	26.03.2024 अंग. 04.00 बजे तक वीलिंग कक्षा	27.03.2024 पूर्व 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	28.03.2024 वीलिंग बाब्द 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	बैंक को जात नहीं
4.	श्री दिवेश कुमार एवं श्रीमती भारती शास्त्रा - गोता कॉलोनी, दिल्ली	प्लॉट नंबर 02, जीएफ, एलआईजी, लॉट नं. सी-103, गंगा विहार, लोनी जागियावाद, गूप्ती में दिया	30-04-2021 107,135.41 दिनांक 31-05-2022 तक और उस पर अतिरिक्त व्यय, व्यय और अन्य शुल्क इत्यादि	8,17,00/- 81,700/- 25,00/-	ईमण्डी वाता खाता विवरण वाता नं. 07075038010002 आईएसप्सीसी- PSIB0000707	शास्त्रा: गोता कॉलोनी नं. 9877856363 फोन-011-22021020, ई-मेल: d0626@psb.co.in	पूर्व 11.30 बजे से अंग. 03.00 के बीच	26.03.2024 अंग. 04.00 बजे तक वीलिंग कक्षा	27.03.2024 पूर्व 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	28.03.2024 वीलिंग बाब्द 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	बैंक को जात नहीं
5.	श्रीमती विश्वा मलिक और श्री दीर्घा मलिक श्रीमती जाली कॉलोनी, दिल्ली	1/6759, तुम्ही तल, ग्राम और देवरु, कॉलोनी रोडवाट नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 वेक्रेपत 15 वर्ष में	04-07-2017 11,41,169.20 दिनांक 31-12-2020 तक और उस पर अतिरिक्त व्यय, व्यय और अन्य शुल्क इत्यादि	4,25,00/- 42,500/- 25,00/-	ईमण्डी वाता खाता विवरण वाता नं. 07075038010002 आईएसप्सीसी- PSIB0000707	शास्त्रा: ज्योति कॉलोनी नं. 8874786160 फोन-011-22803322 ई-मेल: d0783@psb.co.in	पूर्व 11.30 बजे से अंग. 03.00 के बीच	26.03.2024 अंग. 04.00 बजे तक वीलिंग कक्षा	27.03.2024 पूर्व 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	28.03.2024 वीलिंग बाब्द 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	बैंक को जात नहीं
6.	श्रीमती राजा बाला भारद्वाज और श्री राजा भारद्वाज श्रीमती जाली कॉलोनी, दिल्ली	संपत्ति नं. 1/5057, तुम्ही तल, ग्राम और देवरु, कॉलोनी रोडवाट नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 वेक्रेपत 50 वर्ष में	04-04-2017 38,87949.34 दिनांक 31-05-2022 तक और उस पर अतिरिक्त व्यय, व्यय और अन्य शुल्क इत्यादि	15,39,00/- 1,53,900/- 25,00/-	ईमण्डी वाता खाता विवरण वाता नं. 07075038010002 आईएसप्सीसी- PSIB0000707	शास्त्रा: ज्योति कॉलोनी नं. 8874786160 फोन-011-22803322 ई-मेल: d0783@psb.co.in	पूर्व 11.30 बजे से अंग. 03.00 के बीच	26.03.2024 अंग. 04.00 बजे तक वीलिंग कक्षा	27.03.2024 पूर्व 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	28.03.2024 वीलिंग बाब्द 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	बैंक को जात नहीं
7.	श्रीमती राजा बाला भारद्वाज और श्रीमती जाली कॉलोनी, दिल्ली	1040/ए, दूसरी एक्सप्रेस, विवादी, खसरा नं. 292, लॉट नं. बी-1, गंगा विहार, लोनी जागियावाद, गूप्ती में दिया	23-10-2015 45,554.18 दिनांक 31-05-2022 तक और उस पर अतिरिक्त व्यय, व्यय और अन्य शुल्क इत्यादि	16,73,00/- 1,67,300/- 25,00/-	ईमण्डी वाता खाता विवरण वाता नं. 07075038010002 आईएसप्सीसी- PSIB0000707	शास्त्रा: ज्योति कॉलोनी नं. 8874786160 फोन-011-22803322 ई-मेल: d0783@psb.co.in	पूर्व 11.30 बजे से अंग. 03.00 के बीच	26.03.2024 अंग. 04.00 बजे तक वीलिंग कक्षा	27.03.2024 पूर्व 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	28.03.2024 वीलिंग बाब्द 12.00 बजे से अंग. 03.00 बजे तक	बैंक को जात नहीं
8.	श्रीमती रिती और श्री दीर्घा भारद्वाज श्रीमती जाली कॉलोनी,										

